गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

SEXUAL HARASSMENT

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

यौन उत्पीड़न

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

The New Criminal Laws strengthen the legal regime to provide protection to women from sexual harassment

- **Prevention and Prohibition:** Defines and prohibits sexual harassment to foster a harassment-free workplace.
- **Alignment with International Standards:** Reinforcing commitment to gender equality and non-discrimination.
- **Criminal Penalties:** Sexual harassment encompasses physical contact, demands for sexual favours, displaying pornography against a woman's will, and making sexually coloured remarks.
- **Civil Remedies:** Victims of sexual harassment may also pursue civil remedies through legal avenues, such as civil lawsuits or administrative complaints.
- **Workplace Policies:** Employers are required by law to implement policies and procedures for preventing and addressing sexual harassment in the workplace.
- **Strategies for Reducing Sexual Harassment:** Education, culture of respect, policies, victim empowerment, collaboration, and advocacy.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

नए आपराधिक कानून महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं

- **रोकथाम और निषेध**: यह उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यौन उत्पीड़न को परिभाषित और प्रतिबंधित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल**: लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
- **आपराधिक दंड**: यौन उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना और कामुक टिप्पणियां करना शामिल है।
- **नागरिक उपचार**: यौन उत्पीड़न के शिकार लोग कानूनी रास्ते, जैसे सिविल मुकदमे या प्रशासनिक शिकायतों के माध्यम से सिविल उपाय भी अपना सकते हैं।
- **कार्यस्थल नीतियां**: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उन्हें संबोधित करने के लिए नियोक्ताओं को कानून द्वारा नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना आवश्यक है।
- **यौन उत्पीड़न को कम करने की रणनीतियां**: शिक्षा, सम्मान की संस्कृति, नीतियां, पीड़ित सशक्तिकरण, सहयोग और उनका पक्ष लेना।